

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4 (1) लेखा/बजट प्लान/11/ 4178-79

दिनांक : 8.11.11

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सवाई माधोपुर/कोटा/जोधपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, कोटपूतली (जयपुर)।

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47-48 की अनुपालना में स्थापित किए जाने वाले चिकित्सा केन्द्रों के सामान्य भण्डारों (जनरल स्टोर्स) के संचालन हेतु अति आवश्यक औषधियों हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयोजना मद के अन्तर्गत अतिरिक्त बजट आवंटन।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक : 3481-3576 दिनांक 21.09.11, 3627 दिनांक 22.09.11, 3698-3795 दिनांक 29.09.11 एवं विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी का पत्रांक : 359 दिनांक 5.10.2011

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47-48 की अनुपालना में चिकित्सा केन्द्रों के दवा वितरण केन्द्रों हेतु 10 प्रतिशत अति आवश्यक औषधियों हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयोजना मद के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार एवं निम्न निर्देशों के तहत आयोजना मद में राशि रु. 3.50 लाख (अक्षरे राशि तीन लाख पचास हजार मात्र) का अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाता है।

इस बजट का आवंटन राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन द्वारा इनके पत्र क्रमांक RMSC/लेखा बजट/2011-12/179 दिनांक 10.08.2011 एवं 16 दिनांक 12.09.2011 के निर्देशानुसार किया जा रहा है। उक्त व्यवस्थाएँ निश्चित समयावधि में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

निर्देश :-

1. स्थानीय स्तर पर उपयोग में ली जाने वाली दवाइयों के क्रय हेतु एक ही प्रकार की दवाइयों की खरीद में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक : 3698-3795 दिनांक 29.09.11 के अनुसार कार्यवाही करें।
2. राज्यादेश क्रमांक : RMSC/मु.पत्रा/2011/211 दिनांक 26.08.2011 के बिन्दु सं0 7 जो कि निम्नानुसार है की पालना की जावे "स्थानीय क्रय (Local Purchase) :- "आकस्मिक परिस्थितियों जैसे महामारी, संक्रामक बीमारियों एवं आपदा आदि की स्थिति या सामान्यतः उपयोग में आने वाली दवा की उपलब्धता न होने की दशा में संबंधित संस्थान प्रभारी उनको आवंटित वार्षिक दवा बजट के 10 प्रतिशत तक की राशि की औषधियां क्रय इस कार्यालय के पत्र क्रमांक : 3698-3795 दिनांक 29.09.11 के अनुसार करें।"
3. प्रत्येक कार्य/सामग्री हेतु आवंटित राशि अनुमान पर आधारित है तथापि इससे अधिक राशि का व्यय नहीं किया जाये तथा यदि सामग्री इससे कम लागत में उपलब्ध होती है तो उतनी ही राशि का व्यय किया जावे पूर्ण आवंटित राशि का नहीं।
4. उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।
5. इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बीएनपी/11/453 दिनांक 10.05.11 में दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।
6. समस्त व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण मितव्ययता से किया जाना सुनिश्चित करावें तथा व्यय की सूचना निर्धारित समयावधि में भिजवायें।

संलग्न :- परिशिष्ट 1

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ए.4 (1) लेखा/बजट प्लान/11/ 4180-84

दिनांक : 8.11.11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को उनके यू0ओ0 नोट क्रमांक : प.1()RMSC/वित्त/2011-12/159 दिनांक 8.11.2011 के क्रम में प्रेषित है।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवायें, राज0 जयपुर।
3. प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय/सेटेलैट चिकित्सालय, गंगापुर सिटी, रामपुरा (कोटा), महिलाबाग चिकित्सालय, जोधपुर।
4. प्रभारी सर्वर, कृपया इस आवंटन विवरण को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
5. प्रभारी अंकमिलान शाखा, मुख्यालय।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

Government of Rajasthan
Directorate of Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur

Additional Budget Allotment for the year 2011-12 (Plan)

2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य
01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें (ऐलोपैथी)
196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(01)-जिला स्तरीय संस्थापन
[01]-क्षेत्रीय एवं जिला स्थापना (आयोजना)
60-भेषज एवं औषधियां

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	Name of Hospitals	कुल आवंटित राशि (60-D&M)
1	2	3	4
1	CMHO S. Madhopur	Govt. Hosp. Gangapurcity	0.75
2	CMHO Kota	Sate. Hosp. Rampura	1.00
3	CMHO Jodhpur	Mahilabag Hosp. Jodhpur	0.50
	कुल योग		2.25

2210-01-110-(03)-[01] Gen. Hospital (Plan)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम		कुल आवंटित राशि (60-D&M)
1	PMO Kotputali (Jaipur)		1.25
	कुल योग		1.25

महायोग : 2.25+1.25 = 3.50 lacs

(Rs. Three lac & Fifty thousand only)

नोट :

- अंकित राशि स्थानीय स्तर पर दवाईयां क्रय करने के उपयोग में लिये जाने हेतु 50 बेड हेतु 0.50 लाख, 75 बेड हेतु 0.75 लाख, 100 बेड हेतु 1.00 लाख एवं 200 बेड हेतु 2.00 लाख की दर से आवंटन किया गया है।
- स्थानीय स्तर पर उपयोग में ली जाने वाली दवाईयों के क्रय हेतु एक ही प्रकार की दवाई में अन्य जिलों की खरीद दर से भिन्नता नहीं होना सुनिश्चित किया जाये।

Financial Advisor
Medical & Health Services
Rajasthan Jaipur